Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

मदनलाल बनाम बनवारीलाल आदि

किस्म मुकदमा :– 212 आर.टी.एक्ट

नं. मुकदमा 1820/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.12.2021	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी जरिये अधिवक्ता श्री कुलदीप गोड़ द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिश्ते की होकर प्रस्तुत होने पर अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। इसके पश्चात् वकील प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र पर इकतरफा बहस सुना गया। वकील प्रार्थी ने बहस द्वारा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया । पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। अतः प्रकरण में आरजीतौर पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण विवादित भूमि वाके मौजा रोही रोही ग्राम लूनकरनसर के खसरा नम्बर 1035 में 2.5300 हैक्टेयर बारानी–2 भूमि में आगामी पेशी तक अप्रार्थीगण विशिष्ट भू–भाग का बेचान न करे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी सीपीसी आदेश 39 नियम 3 की पालना करें। यह आदेश DILRMP एवं भारतमाला प्रोजेक्ट से सम्बन्धित भूमि, रास्ता एवं रोडा एक्ट से प्रभावी भूमि के सम्बन्ध में प्रभावी नहीं होंगे। इसमें यदि अप्रार्थीगण को कोई उज्र या ऐतराज हो तो नियत पेशी को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें। तहरीर अलग से जारी होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 10.01.2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
10/1/22	पत्रावली पेश हुई । पी.अ. अवकाश / अन्य कार्यों में व्यस्त आयन्दा पत्रावली दिनांक 8/3/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर	नोटिस जारी 885-886 11-3-22
8/3/22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप. वास्ते ... आयन्दा दि. 19/5/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) SDO	
19/05/22	पत्रावली पेश हुई । पी.अ. अवकाश / अन्य कार्यों में व्यस्त आयन्दा पत्रावली दिनांक 14/7/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर	
14/07/2022	पत्रावली पेश हुई । पी.अ. अवकाश / अन्य कार्यों में व्यस्त आयन्दा पत्रावली दिनांक 07/9/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर	
27/07/22	पत्रावली आज प्रार्थी वकील द्वारा विड्रॉवल बाबत प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेश हुई। पक्षकारों में राजीनामा हो गया है इसलिये विड्रॉल किया जाना चाहते है। अतः विड्रॉल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली स्टे विड्रॉल कर जरिये विड्रॉल खारिज की जाती है। पत्रावली नियम में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2022.10.07 18:08:58 IST
Reason: SelfAttested